YUVA
JOYFUL INTERESTING MEANINGFUL LEARNING

सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्,
डिफेन्स कॉलोनी, वरूण मार्ग, नई दिल्ली–110024

YUVA
JOYFUL
INTERESTING
MEANINGFUL
LEARNING

सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा

SCERT
स्वाध्यायान्मा प्रमदः

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्,
डिफेन्स कॉलोनी, वरूण मार्ग, नई दिल्ली–110024

SCERT book.indd 1 3/4/2016 12:47:51 PM

मुख्य सलाहकार

श्रीमती अनीता सेतिया
निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, दिल्ली

संपादक

डॉ. नम्रता धीमन
वरिष्ठ प्रवक्ता एवं प्रोजेक्ट निदेशक, युवा प्रकोष्ठ
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, दिल्ली

पुस्तक लेखन समिति

डॉ. नम्रता धीमन
वरिष्ठ प्रवक्ता एवं प्रोजेक्ट निदेशक, युवा प्रकोष्ठ राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्,

श्री मनोज कुमार
प्रवक्ता, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, दिल्ली

श्री सुनहरी लाल वर्मा
प्रवक्ता हिंदी, राजकीय उच्चतम माध्यमिक बाल विद्यालय, न्यू कोंडली

श्री विष्णु दत्त भट्ट
टी.जी.टी. हिंदी, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, वसंत कुंज

डॉ. भारती
सहायक प्रोफेसर, विशिष्ट आवश्यकता शिक्षा समूह विभाग, एन.सी.ई.आर.टी. दिल्ली

सहायक समन्वय समिति

डॉ. मनीषा वाधवा
सहायक प्रोफेसर, अदिति महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय

सुश्री मनप्रीत कौर नारंग
प्राथमिक अध्यापक, मॉर्डन पब्लिक स्कूल, शालीमार बाग, दिल्ली

श्रीमती सीमा गोयल
टी.जी.टी. रेनबो सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जनकपुरी, दिल्ली

सुश्री विनीता गुप्ता
प्राथमिक अध्यापक, राजकीय सर्वोदय विद्यालय, सेक्टर-3 रोहिणी, दिल्ली

श्रीमती हेमलता
वरिष्ठ आशुलिपिक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, दिल्ली

श्री संदीप कुमार शर्मा
कनिष्ठ लिपिक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, दिल्ली

ISBN no.: 978-93-85943-27-0
2016
© राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली

स्वाध्यायान्मा प्रमदः

प्रकाशक

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली
प्रकाशन अधिकारी : सपना यादव
प्रकाशन मंडल : नवीन कुमार, राधा एवं जय भगवान
मुद्रक : ग्राफ़िक प्रिंटर्स, 2965/41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005

संदेश

मैं युवा प्रकोष्ठ, एस.सी.ई.आर.टी. दिल्ली द्वारा किए गए अथक प्रयासों एवं शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों तथा संबंधित पुस्तक सामग्री की सराहना करती हूँ। मुझे आशा है कि यह 'सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा' पुस्तक बच्चों एवं अध्यापकों के सामान्य जीवन में यातायात नियमों एवं निर्देशों का पालन करने के लिए उपयोगी साबित होगी। इस पुस्तक में विद्यालय के प्रत्येक स्तर के विद्यार्थियों के लिए सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारी देने के साथ-साथ उन्हें सड़क-नियमों, वातावरण सुरक्षा, प्राथमिक चिकित्सा आदि के प्रति जागरूक और संवेदनशील बनाने के लिए एक ठोस प्रयास किया गया है।

उम्मीद है कि यह प्रयास भावी नौजवान चालकों में सड़क यातायात से संबंधित जानकारियों को बढ़ा कर हमारे शहर की सड़कों को सुरक्षित बनाने में उपयोगी सिद्ध होगा। यह पुस्तक बच्चों में आत्मविश्वास में वृद्धि कर अभिभावकों को यातायात के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करेगी।

अतः मैं इस सराहनीय प्रयास के लिए डॉ. नम्रता धीमन, परियोजना निदेशक, युवा प्रकोष्ठ, एस.सी.ई.आर.टी. एवं पुस्तक लेखक मंडल तथा सहायक समन्वय समिति के सभी सदस्यों का धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि यह पुस्तक बच्चों, शिक्षकों एवं अभिभावकों को यातायात नियमों का पालन करने में सहायक होगी।

शुभकामनाओं सहित!

अनीता सेतिया
निदेशक
रा. शै. अनु. एवं प्र. परि., दिल्ली

SCERT book.indd 5 3/4/2016 12:47:52 PM

SCERT book.indd 6 3/4/2016 12:47:52 PM

सत्यमेव जयते

अर्द्ध सरकारी पत्रा सं.
D.O.No.
संयुक्त आयुक्त पुलिस (यातायात)
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली
JOINT COMMISSIONER OF POLICE (TRAFFIC)
DELHI POLICE HEAD QUARTERS
INDRAPRASTHA ESTATE, NEW DELHI – 110002

संदेश

हमारे देश में यातायात के साधनों में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। नियमों की अवहेलना और नियमों की जानकारी के अभाव में नित दुर्घटनाओं में भी बढ़ोतरी हो रही है। सड़क पर किसी भी रूप में चलना सुरक्षित नहीं है। ऐसी विषम परिस्थिति में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के युवा प्रकोष्ठ द्वारा सड़क सुरक्षा पर आधारित यह प्रकाशन सराहनीय प्रयास है। इसमें नागरिक बोध एवं समावेशी पर्यावरण को आधार बनाकर क्रिया-कलापों के माध्यम से अध्यापकों, अभिभावकों एवं विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के नियमों, कर्तव्यों, सुरक्षित आवागमन, वाहनों का उपयोग व आपातकालीन अवस्था में प्राथमिक चिकित्सा आदि के संबंध में जानकारी दी गई है। श्रीमती नम्रता धीमन, परियोजना निदेषक, युवा प्रकोष्ठ, एस.सी.ई.आर.टी. तथा वे सभी लोग बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस पुस्तक को साकार रूप देने में अपना योगदान दिया। निश्चित ही यह पुस्तक छात्रों को ज़िम्मेदार नागरिक बनाने में उपयोगी सिद्ध होगी।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के युवा प्रकोष्ठ द्वारा सड़क सुरक्षा पर आधारित यह पुस्तक 'सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा' जिसमें नागरिक बोध एवं समावेशी पर्यावरण को आधार बना कर क्रिया-कलापों के माध्यम से अध्यापकों, अभिभावकों एवं विद्यार्थियों को सड़क के नियमों, कर्तव्यों, सुरक्षित आवागमन, वाहनों का उपयोग व आपातकालीन अवस्था में प्राथमिक चिकित्सा आदि के संबंध में जो जानकारियाँ दी गई हैं वह इस दिशा में एक अद्वितीय व सराहनीय प्रयास है।

सादर

भवदीय,

अनिल शुक्ला

SCERT book.indd 7 3/4/2016 12:47:52 PM

SCERT book.indd 8 3/4/2016 12:47:52 PM

प्रस्तावना

आधुनिक युग अर्थात् विज्ञान का युग। विज्ञान की दिन-प्रतिदिन नई उपलब्धियाँ हमारे जीवन को सुलभ बनाती हैं। आज हम न केवल एक देश से दूसरे देश, बल्कि महाद्वीपों के बीच की दूरी भी कुछ ही समय में तय कर लेते हैं। यातायात के नवीन साधन, विज्ञान की ही देन हैं।

ये साधन जहाँ एक ओर हमारे जीवन को सुलभ बनाते हैं, वहीं दूसरी ओर लेशमात्र असावधानी से हम अपने बहुमूल्य जीवन से हाथ धो बैठते हैं। इसलिए यह अनिवार्य हो जाता है कि हम सड़क पर सुरक्षित रहने के सभी नियमों का पालन करें। इसके साथ ही अपनी सड़कों और पर्यावरण को भी स्वच्छ रखें तभी हम एक ज़िम्मेदार नागरिक बन पाएँगे।

सड़क पर वाहन चलाते समय कुछ नियमों का पालन करना ज़रूरी होता है जिससे दुर्घटनाएँ न हो, परन्तु देखने में यह आता है कि या तो वाहन-चालक नियमों से अनजान हैं या जान-बूझकर नियमों का उल्लंघन करते हैं। इसी कारण प्रतिदिन सैंकड़ों बहुमूल्य ज़िन्दगियाँ वाहनों की चपेट में आकर जान से हाथ धो बैठती हैं। अतएव यह आवश्यक है कि सड़क पर सुरक्षा की नींव बालपन से ही रखी जाए।

आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं ने हमें 'सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा' पुस्तक को आप लोगों तक पहुँचाने की प्रेरणा दी। इस पुस्तक में हमने वाहन चालकों के जानने योग्य नियम, पैदल चलने वालों के लिए ध्यान रखने योग्य सावधानियाँ, यातायात चिह्नों के अर्थ, नियमों के उल्लंघन करने पर मिलने वाली सज़ाएँ, सुरक्षा के लिए नागरिकों के कर्तव्य, वाहनों से पर्यावरण को होने वाले नुकसान आदि का उल्लेख करके नागरिकों को जागरूक बनाने की चेष्टा की है। ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए योग्यता आदि का भी उल्लेख किया गया है।

छात्रों से हमारी अपेक्षा है कि वे सड़क पर चलने तथा नियमों के तौर-तरीके सीख कर उनका पूर्णतः पालन करें और भविष्य में सभ्य नागरिक बन कर जीवन सुरक्षित बनाएँ तथा देश का गौरव बढ़ाएँ।

हमारे इस छोटे से प्रयास में जिन-जिन संदर्भ स्रोतों तथा विद्वान और विदुषियों का सहयोग प्राप्त हुआ है, उन सभी के लिए मेरा हार्दिक धन्यवाद।

सुखद भविष्य की शुभकामनाओं सहित!

डॉ. नम्रता धीमन
प्रोजेक्ट निदेशक
युवा प्रकोष्ठ

SCERT book.indd 10 3/4/2016 12:47:52 PM

विषय-सूची

क्र.सं.	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1.	परिचय	13
2.	नागरिक बोध	15
3.	सड़क पर चलने का अधिकार	17
4.	स्कूली बच्चों के लिए सड़क सुरक्षा	22
5.	यातायात संकेतक (चिह्न)	29
6.	ट्रैफ़िक लाइट संकेत	38
7.	ड्राइविंग लाइसेंस	45
8.	यातायात के साधनों का वातावरण पर प्रभाव	48
9.	ड्राइविंग अपराध और दंड	55
10.	वाहन के विभिन्न उपकरण	61
11.	दुर्घटना के समय चालक का कर्तव्य	66

SCERT book.indd 11 3/4/2016 12:47:52 PM

SCERT book.indd 12 3/4/2016 12:47:54 PM

1 परिचय

भारत के संविधान के अनुसार, देश के प्रत्येक नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। अधिकारों के साथ कुछ कर्तव्य भी जुड़े होते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वच्छंद आवागमन प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। ड्राइविंग का अधिकार भी हर वयस्क नागरिक को प्राप्त है। इस अधिकार के साथ अनिवार्य है - इससे संबंधित नियमों और कानूनों की संपूर्ण जानकारी। वर्तमान समय में सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित आंकड़े गम्भीर होते जा रहे हैं।

निम्नलिखित तथ्यों से यह सिद्ध हो जाता है

- विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 13 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं।
- 90 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाएँ भारत जैसे विकासशील देशों में होती हैं।
- सड़क दुर्घटनाएँ 5 प्रतिशत की दर से प्रत्येक वर्ष बढ़ रही हैं, जो आने वाले खतरे की ओर संकेत करती हैं।
- विश्व में सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों में भारत का स्थान प्रथम है, जहाँ लगभग हर तीन मिनट में सड़क दुर्घटना होती है, जिसमें से प्रति घंटे 15 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है।
- सड़क हादसों के शिकार 70 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति पैदल चलने वाले, साइकिल सवार तथा दोपहिया वाहन सवार होते हैं।
- सड़क दुर्घटनाओं के कारण देश के अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ता है।
- दिल्ली में प्रतिदिन रोडरेज़ के कारण होने वाले झगड़े घातक होते जा रहे हैं।
- दिल्ली में प्रतिवर्ष दो हज़ार जानें सड़क दुर्घटनाओं में जाती हैं, सात हज़ार लोगों को चोट लगती है और उनमें से कई जीवनभर के लिए अक्षम हो जाते हैं।

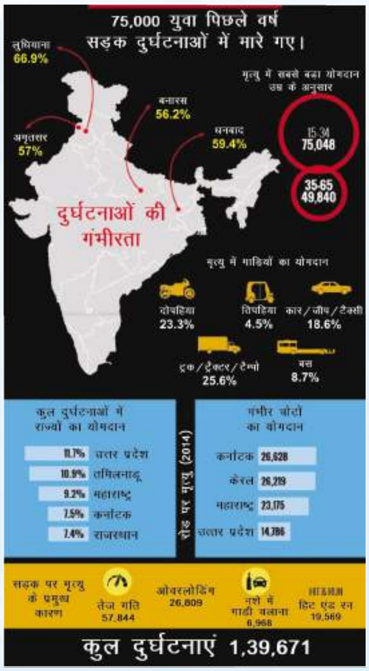

सड़क दुर्घटनाओं के कारण

सड़क दुर्घटनाओं पर काबू पाने के लिए आवश्यक है - उनके कारणों को समझना। दिल्ली में मुख्य रूप से सड़क दुर्घटनाओं के निम्नलिखित कारण देखने में आते हैं :-

- शराब पीकर वाहन चलाना।
- तेज़ रफ़्तार।

- उतावलापन या जल्दबाज़ी
- गति-सीमा को तोड़ना।
- गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करना।
- यातायात के नियमों का उल्लंघन करना।
- अन्य वाहनों को अनावश्यक रूप से ओवरटेक करना।
- जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि।
- सड़कों की दुर्दशा।
- वाहनों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि।
- वाहनों का ओवरलोड होना।
- वाहनों का लचर स्थिति में तथा उपयुक्त मापदंडों के अनुसार न होना।

दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों में 60 से 65 प्रतिशत व्यक्ति 16-40 आयुवर्ग के होते हैं। किसी आपात स्थिति में आपका ड्राइविंग प्रशिक्षण तथा ज्ञान आपकी सतर्कता और व्यवहार पर निर्भर करता है। युवाओं में यातायात के नियमों का उचित ज्ञान होने पर भी इस तरह की घटनाएँ यातायात नियमों के प्रति उनकी लापरवाही को दर्शाती हैं। सड़क सुरक्षा के लिए समाज का प्रभावी हस्तक्षेप आवश्यक है। सरकारी, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्तियों और समूहों को एकजुट होकर सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए अपना पूर्ण सहयोग देने की आवश्यकता है।

2 नागरिक बोध (सिविक सेंस)

यदि सड़क दुर्घटनाओं पर नज़र डालें तो हमें एक बात का एहसास होता है कि अधिकांश दुर्घटनाएँ नागरिक बोध (सिविक सेंस) के अभाव में होती हैं। डर का अनुशासन टिकाऊ नहीं होता। जब तक डर है, तब तक अनुशासन है और डर समाप्त होते ही अनुशासन भी समाप्त हो जाता है। अतः नागरिक बोध होना आवश्यक है। नागरिक बोध को यदि 'आत्म-अनुशासन' कहा जाए तो ज़्यादा ठीक होगा। आत्म-अनुशासन बाहर से थोपी गई वस्तु नहीं है, वह तो स्वतः स्फूर्त वस्तु है। जो बात स्वतः स्फूर्त हो वह आत्मा की वस्तु होती है और आत्मा को धोखा नहीं दिया जा सकता। अतः हर वाहन चालक को आत्म-अनुशासित होने की आवश्यकता है। जिस दिन सभी लोगों को नागरिक बोध या आत्म-अनुशासन की अनुभूति होगी, उस दिन से सड़क दुर्घटनाओं में निश्चित रूप से लगाम लगेगी।

सड़क दुर्घटनाओं में जान-माल का नुकसान होना एक वैश्विक समस्या है, परन्तु सभी देशों की अपेक्षा हमारे देश में अधिक दुर्घटनाएँ होती हैं। भारत में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 1.5 लाख लोगों की जान चली जाती है।

इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के अनुसार, 90 प्रतिशत हादसे ड्राइवर की ग़लती की वजह से होते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या ड्राइविंग लाइसेंस देते समय नियमों की अनदेखी की जाती है या कोई अन्य कारक भी इस समस्या से जुड़े हुए हैं।

हमारे देश में अनेक बार देखा गया है कि हम लोग सड़क सुरक्षा मानकों की परवाह ही नहीं करते। कभी-कभी हम नाबालिग बच्चों को मोटर साइकिल, कार आदि चलाने को दे देते हैं। नाबालिगों को रफ़्तार से वाहन चलाने में बहुत आनन्द आता है। उन्हें अपनी ज़िम्मेदारी का बोध नहीं होता, फलस्वरूप भयंकर दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी दुर्घटनाओं के बाद माता-पिता के पास सिर धुनने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता।

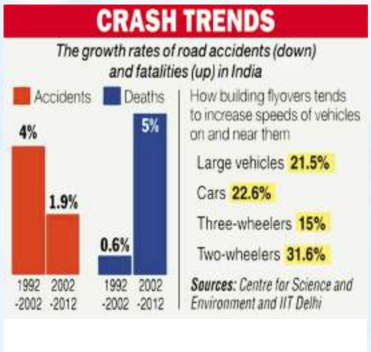

इस संदर्भ में एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा पहला कर्तव्य है कि हम अपने नाबालिग बच्चों को मोटर साइकिल या कार चलाने की अनुमति बिलकुल न दें। इससे बहुत-सी दुर्घटनाएँ टल जाएँगी।

हमारे देश के नागरिकों की एक समस्या और है। हम दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना पसंद नहीं करते। एक सर्वे के अनुसार, 30 प्रतिशत लोग दोपहिया दुर्घटनाओं में जान गँवाते हैं। हम समझते हैं कि हेलमेट पहनने का मतलब केवल चालान से बचना है। जबकि हमें यह समझना चाहिए कि दुर्घटना होने पर हेलमेट सिर की गंभीर चोट से हमारे बचाव का बहुत बड़ा साधन है। दोपहिया दुर्घटनाओं में सिर की चोट के कारण मरने वालों की संख्या अधिक होती है, इसलिए हेलमेट को हाथ में फँसाकर रखने की अपेक्षा उसे नियमानुसार सिर पर पहनने में ही हमारी भलाई है। यह समझदारी हर दोपहिया सवार के खुद के फ़ायदे के लिए है। अतः इस पर गंभीरता से अमल करने की आवश्यकता है।

नशीले पदार्थों का सेवन करके गाड़ी चलाना दुर्घटना का अन्य प्रमुख कारक है। नशा करने के बाद हमारा मस्तिष्क अपने नियंत्रण में नहीं रहता और उस पर नशा हावी हो जाता है। नशे की हालत में चालक गति पर नियंत्रण नहीं रख सकता और घातक दुर्घटनाएँ हो जाती हैं। इन दुर्घटनाओं के लिए व्यक्ति खुद ज़िम्मेदार होते हैं। अगर हमें इस तरह की दुर्घटनाओं से बचना है तो स्वयं अनुशासित होना पड़ेगा।

सार्वजनिक परिवहन में अधिकांश देखा गया है कि टैक्सी चालक या बस चालक कई बार चौबीस से छत्तीस या चालीस घंटे तक बिना सोए लगातार टैक्सी या बस चलाते हैं। थकान तथा नींद वाहन चालक तथा यात्रियों के लिए यमदूत ही समझिए। नींद की एक झपकी न जाने कितनी ज़िंदगियों को परमधाम पहुँचा दे, कुछ पता नहीं। इसलिए हमारा मानना है कि धन कमाना बुरी बात नहीं हैं लेकिन अपनी तथा टैक्सी या बस में सवार यात्रियों की ज़िंदगी दाँव पर लगाकर धन कमाना उचित नहीं है। इसलिए सभी टैक्सी या बस चालकों का नैतिक कर्तव्य है कि नींद या थकान की अवस्था में गाड़ी न चलाएँ।

लाल बत्ती पार करना, 'वन वे' में गाड़ी चलाना, ग़लत तरीके से ओवर टेक करना गति-सीमा का उल्लंघन करना, दुर्घटनाओं को निमंत्रण देना है। ऐसी स्थिति में 'आ बैल मुझे मार' वाली कहावत चरितार्थ होती है। सरकार ने भी अब इस दिशा में कड़े नियम बनाए हैं।

3 सड़क पर चलने का अधिकार

हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे साथ-साथ अन्य सभी व्यक्तियों को भी सड़क पर चलने का अधिकार है। सड़कों पर कब, किसे और किस तरह चलना है, यह जानना अत्यावश्यक है। पैदल चलने वालों की सुरक्षा भी ज़रूरी है। कुछ वाहनों को सड़क पर चलने की विशेष सुविधा दी गई है। इन वाहनों तथा इन्हें दी गई सुविधाओं की जानकारी हर वाहन चालक को होनी चाहिए। सड़क पर चलने के नियम मुख्यतः शिष्टाचार और सामान्य ज्ञान पर आधारित हैं। ये नियम इस प्रकार हैं :

- आपातकालीन वाहन, जैसे - एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाडियाँ, हूटर वाले पुलिस वाहन इत्यादि को सभी परिस्थितियों में सड़क पर पहले चलने का अधिकार होता है।
- ज़ेबरा पार पथ पैदल चलने वालों के लिए होता है। अतः ट्रैफिक लाइट अन्यथा ज़ेबरा पार पथ पर किसी भी प्रकार के वाहन को खड़ा करके अवरोध उत्पन्न नहीं करना चाहिए।
- यदि कोई वाहन चालक ज़ेबरा पार पथ को पार करने लगे तो उसे यह ध्यान में रखना चाहिए कि वह ज़ेबरा पार पथ से सड़क पार कर रहे लोगों को पहले रास्ता दे।
- ट्रैफिक लाइट पर चालक को नारंगी लाइट होने पर वाहन को धीमा कर लेना चाहिए और यदि ट्रैफिक लाइट लाल हो तो वाहन चालक को ट्रैफिक लाइट से पूर्व ज़ेबरा क्रॉसिंग के पास अपना वाहन रोक लेना चाहिए।
- यदि गोल चक्कर में प्रवेश करना हो तो जो वाहन पहले से ही गोल चक्कर में प्रवेश कर चुके हैं, उन्हें रास्ता देना चाहिए।
- स्लिप लेन से दाएँ या बाएँ मुड़ने के बाद मुख्य सड़क पर आने के बाद मुख्य सड़क पर पहले से चल रहे वाहनों को रास्ता देना चाहिए।
- चौराहों एवं मुख्य सड़कों पर चल रहे वाहनों को छोटी या स्लिप लाइन से आ रहे वाहनों को रास्ता देना चाहिए।
- वाहन चालकों को सड़क पर लगे यातायात गति-सीमा संकेतकों के अनुसार अपने वाहनों को निर्धारित गति-सीमा में रखना चाहिए।

सड़क सुरक्षा के बारे में पद यात्रियों के लिए सुझाव

पद यात्री यातायात के महत्वपूर्ण अंग हैं, लेकिन सड़क पर उनके लिए अधिक जोखिम होता है। सड़क पर के खतरों से सुरक्षित रहने के लिए, सड़क की संरचनात्मक एवं ढांचागत सुविधाओं का पूरा उपयोग करें। सड़क पार करने के शॉर्ट कट्स (आसान विकल्प) खतरनाक होते हैं अतः उनका सहारा नहीं लेना चाहिए। सड़क पार करने के लिए 'सब-वे' (तलमार्ग), ज़ेबरा क्रॉसिंग या फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करना चाहिए।

सड़क पर निम्नलिखित सामान्य तरीके आपको सुरक्षित रखेंगे

- संभलकर और पूरे होश में चलें।
- सामने से आ रहे यातायात को देखें।
- जब आप सड़क पार कर रहे हों तो कभी यह मानकर नहीं चलें कि ड्राइवर ने आपको देख लिया है। अपने जीवन की रक्षा आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है।
- जहाँ ड्राइवर नहीं देख पाए, वहाँ से सड़क पार करने से बचें।
- सड़क पार करने से पहले यातायात और आपके बीच फ़ासला होने का इंतज़ार करें।
- 'डिवाइडर रेलिंग्स' के ऊपर से कभी भी न कूदें।
- बच्चों के साथ सड़क पार करते समय उनका हाथ थामकर रखें।
- प्रातःकाल सैर के समय या दौड़ने के लिए सड़क के इस्तेमाल से बचें।
- चढ़ाई पर या टेढ़ा रास्ता पार करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें।
- पार्क की गई या खड़ी कारों के बीच से रास्ता पार न करें।
- सबसे छोटा और सबसे सीधा मार्ग पार करने से सड़क पर आपके समय की बचत होती है।

सड़क के खतरों से बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। सिर्फ वाहन के ड्राइवर के कारण ही दुर्घटनाएं नहीं होतीं, बल्कि बच्चों की लापरवाही और जागरूकता की कमी से भी सड़क दुर्घटनाओं की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। अपने बच्चे को फुटपाथ पर चलना सिखाएँ, उन्हें सब-वे (तलमार्ग), ज़ेबरा क्रॉसिंग आदि के उपयोग के लिए प्रेरित करें। यदि आप स्वयं सड़क पर सही ढंग से चलते हैं तो आपका बच्चा भी आपका अनुसरण करेगा और यातायात में सुरक्षित रहेगा।

सड़क पार करने के लिए बच्चों को निम्नलिखित बातें सीखनी चाहिए

- किनारे पर रुकें।
- अपनी दाईं ओर, बाईं ओर और पुनः दाईं ओर देख कर चलें।
- जब कोई भी वाहन पास से न गुज़र रहा हो, तभी पैदल चलकर सड़क पार करें।

कार्यकलाप-1

शीर्षक : आओ चलें सड़क पर

समय	आयु वर्ग	सामग्री
35 मिनट	12-14 वर्ष	जूते, रस्सी, चूना, सिग्नल बोर्ड के कट आउट

उद्देश्य

- सड़क पर चलते समय बच्चे बरती जाने वाली सावधानियों को समझ पाएँगे।
- इन सावधानियों को बच्चे अपने जीवन में धारण करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

प्रक्रिया

- सबसे पहले रस्सी और चूना मैदान पर बिछाकर डिवाडर बना लें।
- इसके बाद जूतों की सहायता से रोड की किनारियाँ बना लें।

अब बच्चों को निम्न स्थितियाँ बताएँ तथा उन्हें खुद से अभिनय करने को कहें। इसे और मज़ेदार बनाने के लिए बच्चों को इन स्थितियों के अंतर्गत अपनी पटकथा तैयार करके अभिनय करने के लिए प्रोत्साहित करें।

स्थितियाँ

1. यदि रोड पर चलते समय आपको अचानक अपना कोई दोस्त मिल जाए तो आप क्या करेंगे?
2. यदि आपको एक बड़ा सुंदर और मज़ेदार चित्र तथा कथन सड़क पर चलते समय अचानक किसी बोर्ड पर लिखा हुआ दिखता है तो आप क्या करेंगे?
3. आप सड़क पर पैदल चलते हुए स्कूल जा रहे हैं। इसी बीच किसी शिक्षा केन्द्र के लोग अपने विज्ञापन के लिए एक पर्चा आपको देते हैं, तो आप क्या करेंगे?
    * चलते हुए पढ़ेंगे, बैग में रखेंगे या सड़क पर फेंक देंगे आदि।
4. आप स्कूल के लिए घर से देरी से निकलते हैं और आपकी स्कूल बस या वैन आपके सामने से निकल पड़ती है। आप थोड़ी ही दूरी पर हैं तो आप क्या करेंगे?
5. आपको रोज़ आधे से एक कि.मी. का सफ़र पैदल तय करना होता है। आप चलते-चलते ऊब जाते हैं तो अपने मनोरंजन के लिए आप क्या-क्या करते हैं?
    * मोबाइल पर गाने सुनते हैं, दोस्तों से बातें करते हैं राहगीरों को छेड़ते हैं, कहीं पर बैठकर आराम करने लगते हैं आदि।

आकलन

अपने से बड़ों या अध्यापक की मदद से पता लगाइए कि दिल्ली सरकार ने पैदल यात्रियों के लिए कौन-से दिशा निर्देश जारी किए हैं?

कार्यकलाप-2

शीर्षक : चलो चलें फुटपाथ पर

समय	आयु वर्ग	सामग्री
35 मिनट	6-10 वर्ष	काला चार्ट, 5x5 से.मी. की दो सफेद पट्टियाँ, डबल साइड टेप।

उद्देश्य

- बच्चे फुटपाथ के उचित उपयोग को समझने में सक्षम होंगे।
- बच्चे सड़क पर चलते समय फुटपाथ का सही इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

प्रक्रिया

सबसे पहले अध्यापक काले चार्ट पर रोड का एक चित्र बनाएँ। इसके बाद दो सफेद पट्टियाँ रोड की साइड में टेप की मदद से चिपकाएँ। इस चार्ट को टेप की मदद से श्यामपट्ट पर लगाएँ और बच्चों से पूछें -

- क्या आपने कभी सड़क के दोनों ओर ऐसी जगह देखी है?
- क्या आपने कभी सोचा है कि यह जगह किस लिए होगी? क्या आपने कभी इसका इस्तेमाल किया है? यदि हाँ तो कैसे? यदि नहीं तो क्यों नहीं?

आकलन

बच्चों से अख़बार, मैगज़ीन की मदद से फुटपाथ के चित्र इकट्ठे करवाकर उन्हें कॉपी में चिपकवाइए।

कार्यकलाप-3

शीर्षक : ढूँढ़ो और लिखो

अपने घर के आस-पास की जगहों का दौरा करके पता लगाइए कि वहाँ की सड़कों पर फुटपाथ है भी या नहीं? यदि है तो क्या लोग इसका इस्तेमाल करते हैं?

4 स्कूली बच्चों के लिए सड़क सुरक्षा हेतु नीति निर्देश

यह आवश्यक है कि स्कूली बच्चों को बचपन से ही ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी जाए। यह न केवल उन्हें सड़क पर सुरक्षित रखने में सहायक होगी, बल्कि उन्हें एक ज़िम्मेदार नागरिक भी बनाएगी।

निम्नलिखित बिन्दुओं के द्वारा हम छात्रों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक कर सकते हैं :

पैदल स्कूल जाने वाले बच्चे अपनी सुरक्षा के लिए

- हमेशा फुटपाथ का उपयोग करें।
- बिना फुटपाथ वाली सड़क पर हमेशा सड़क के दाईं ओर चलें।
- सड़क पर कभी भागें नहीं।
- सड़क पार करने के लिए ज़ेबरा क्रॉसिंग, सब-वे या पुल का उपयोग करें।
- ट्रैफिक सिग्नल पर केवल पैदल यात्रियों के लिए उपयोगी हरी बत्ती देखकर सड़क पार करें।
- यदि कोई चौराहा यातायात पुलिस द्वारा नियंत्रित किया जा रहा हो, तो यातायात पुलिस कर्मी के संकेत पर सड़क पार करें।
- सड़क पर पार्क किए जाने वाले वाहनों के बीच में सावधानी से चलें।
- कभी भी किसी मोड़ से सड़क पार न करें। हो सकता है कि सड़क पर मुड़ने वाले वाहन चालकों को आप न दिखाई दे रहे हों।

बस द्वारा स्कूल जाने पर

1. घर से समय पर निकले ताकि सड़क पर जल्दबाज़ी न करनी पड़े।
2. बस स्टैण्ड पर हमेशा एक लाइन/कतार में रहें।
3. बस के रुकने के बाद ही बस में चढ़ें।
4. बस में बैठने के बाद न तो चिल्लाएँ और न ही शोर करें क्योंकि इससे ड्राइवर का ध्यान भंग हो सकता है।
5. स्कूल द्वारा निर्धारित बस स्टॉप से ही बस पर चढ़ें।
6. यदि आप बस में खड़े हैं तो रेलिंग को पकड़ कर ही खड़े हों।
7. चलती हुई बस की खिड़की से शरीर का कोई अंग बाहर न निकालें।

कार्यकलाप-1

शीर्षक : क्या कहती है लाल, पीली, हरी बत्ती

समय	आयु वर्ग	सामग्री
30 मिनट	5-7 वर्ष	सफेद चॉक, सेफ्टी पिन, लाल, हरा तथा पीला चार्ट पेपर, यातायात वाहनों की आवाज़ें (मोबाइल या टेप रिकार्डर पर रिकार्ड की गईं)

उद्देश्य

- बच्चों में सुरक्षित रूप से सड़क का उपयोग करने की समझ विकसित होगी।
- बच्चे ट्रैफिक लाइट की उपयोगिता से अवगत होंगे।

प्रक्रिया

1. अध्यापिका कक्षा के विद्यार्थियों को 6-7 के समूह में विभाजित करके प्रत्येक समूह को एक नम्बर दे दें, जैसे - समूह-1, समूह-2 इत्यादि।
2. प्रत्येक समूह के ३ विद्यार्थी लाल, हरा, तथा पीला चार्ट पेपर तथा सेफ़्टी पिन की सहायता से यातायात बत्ती बन जाएँ।
3. समूह के बाकी विद्यार्थी पैदल यात्री तथा सड़क पर चलने वाले विभिन्न प्रकार के वाहनों के चालक बन जाएँ और वाहनों की आवाज़ें निकालते हुए क्रियाकलाप स्थल पर चक्कर लगाएँ।
4. कक्षा अध्यापिका जैसे ही ''लाइट-लाइट'' बोले, सब बच्चे अपनी-अपनी पोजीशन ले लें। अध्यापिका बोलेगी ''लाइट हरी हो गई'' तो हरी बत्ती बना हुआ बच्चा आगे आ जाएगा और लाल और पीली बत्ती बने हुए बच्चे उसके पीछे हो जाएँगे।
5. जैसे ही अध्यापिका कहेंगी ''लाइट लाल हो गई'' तो जो बच्चा लाल बत्ती बना है, वह आगे आ जाएगा और पीली और लाल बत्ती बने बच्चे उसके पीछे हो जाएँगे।
6. इसी तरह सभी समूह तीनों बत्तियों के अनुसार आगे-पीछे होते रहेंगे।
7. इसके बाद अध्यापिका सभी समूहों को एक साथ बुलाकर उन्हें अपना-अपना अनुभव साझा करने के लिए कहेगी। अंत में अध्यापिका बताएगी कि लाल, पीली और हरी बत्ती पर हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए।

आकलन

1. लाल बत्ती पर ड्राइवर को रुकना चाहिए या चलना चाहिए?
2. लाल बत्ती पर पैदल चलने वालो को रुकना चाहिए या नहीं?
3. हरी बत्ती पर पैदल चलने वालों को रुकना चाहिए या नहीं?
4. पीली बत्ती पर ड्राइवर को वाहन चलाना शुरू कर देना चाहिए या नहीं?

कार्यकलाप-2

शीर्षक : आओ स्कूल चलें हम

समय	आयु वर्ग	सामग्री
30 मिनट	12-13 वर्ष	बच्चों की संख्या के अनुसार अलग रंग के चार्ट पेपर, (2 सेट) स्केच पेन, एक फेविकोल, सात खाली छोटे डिब्बे या बाल्टियाँ

उद्देश्य

बच्चे स्कूल पहुँचने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले यातायात के किसी भी साधन का प्रयोग करते समय ध्यान में रखी जाने वाली सावधानियाँ से अवगत हो सकेंगे।

गतिविधि की पूर्व तैयारी

1. छात्र यातायात के जिन साधनों का उपयोग स्कूल आने के लिए करते हैं, उनका नाम बड़े-बड़े अक्षरों में चार्ट पेपर पर लिखकर उन्हें कक्षा कक्ष में अलग-अलग जगहों पर चिपका दें (यदि कक्षा में कोई दृष्टिबाधित बच्चा है तो कक्षा-अध्यापक किसी दृष्टिवान साथी समूह को सहयोग करने के लिए कहें)।
2. अध्यापक, विद्यार्थी को यह निर्देश दें कि पैदल चलने वाले विद्यार्थी अपने चार्ट पेपर के आगे खड़े हो जाएँ, रिक्शा वाले रिक्शा के आगे तथा स्कूटी वाले स्कूटी के आगे।
3. इस तरह सभी विद्यार्थी अपना-अपना समूह बना लेंगे और समूह का नाम रखेंगे। उसके पश्चात् अध्यापिका विद्यालय आने के विभिन्न साधनों, जैसे - पैदल, बस, स्कूटी वैन आदि के माध्यम से यातायात के साधनों से संबंधित कार्ड जिनमें उनसे संबंधित कुछ जानकारियाँ होंगी, वह छात्रों के समूह को देगी और छात्र उन पर चर्चा करेंगे।
4. इसके बाद सभी विद्यार्थी नीचे दी गई शीट भरेंगे।
5. सारे कार्ड्स ख़ाली डिब्बों में डाल देंगे।

स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षा

नाम .... कक्षा..................दिनांक................

यातायात का साधन ....

समूह के सदस्यों के नाम ....

1.

2.

3.

4.

5.

6.

अध्यापक के हस्ताक्षर

कार्ड्स में दी गई जानकारियाँ

1. पैदल चलने वाले

   * किसी अनजान व्यक्ति के बुलाने पर क्या उसके पास आप जाओगे?
   * रास्ते में अगर कोई अच्छी चीज़ जमीन पर गिरी दिखाई दे तो क्या आप उठाओगे?
   * क्या आप स्कूल जाने से पहले अपने किसी साथी को बुलाते हो?
   * क्या आपके रास्ते में कोई पार्किंग स्थान आता है? क्या आप उसके बीच में से निकलते हैं?
   * आपको घर से स्कूल पहुँचने में कितना समय लगता है?
   * अनजान आदमी अगर आपको कुछ खाने के लिए देता है तो क्या आप उसे ले लेते हैं?
   * अगर कोई अनजान आदमी यह कहता है कि आप को आपकी मम्मी, जिनका नाम .... है, बुला रही है तो क्या आप उस पर विश्वास कर लेते हैं?

2. वैन का प्रयोग करने वाले

   * आपकी वैन में कितने बच्चे जाते हैं? क्या सभी आप के ही स्कूल के हैं या अलग-अलग स्कूलों के?
   * क्या बच्चे वैन में लड़ते हैं?
   * जब स्पीड ब्रेकर आता है तब क्या बच्चे एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं?
   * जब बच्चे लड़ते हैं तो क्या ड्राइवर डांटता है?
   * छुट्टी के बाद वैन वाला क्या आपको अभिभावक के पास छोड़ता है या फिर स्टॉप पर ही छोड़कर चला जाता है?
   * क्या वैन वाला अनजान आदमियों को वैन में बिठाता है?
   * क्या वैन वाला कभी आपको चॉकलेट, मिठाई, टॉफी या कुछ और चीज़ें खाने के लिए देता है?
   * क्या वैन वाला कभी अपना रूट बदलता है या फिर एक ही रूट से लाता-ले जाता है?

3. स्कूल बस

   * क्या आपकी स्कूल बस में अटेंडेंट/आया/सहयोगी स्टाफ होता है?
   * क्या बस में आपकी हाज़िरी रोज़ होती है?

4. डी.टी.सी.

* क्या आप बस में रोज़ टिकट लेते हैं या फिर ऐसे ही यात्रा करते हैं?
* क्या आप बस में रेलिंग पकड़ कर खड़े होते है?
* क्या आप या आपका दोस्त/सहेली अनजान आदमी से बातें करते हैं?
* बस की यात्रा में क्या कभी कोई ऐसी घटना घटी है, जिसे आप अपने साथियों के साथ बाँटना चाहते हैं, जैसे - जेबकतरे का पकड़ा जाना आदि।

5. स्कूटी

* क्या आप स्कूटी के कागज़ात साथ में रखते हैं?
* क्या आपने स्कूटी चलाना किसी प्रशिक्षित व्यक्ति से सीखा है?
* क्या आप किसी को पीछे बैठाकर आत्मविश्वास के साथ स्कूटी चला सकते हैं?
* स्कूटी से क्या-क्या फ़ायदे हैं, सूची बनाइए।
* क्या आप स्कूटी चलाने वाले सहपाठियों से सड़क पर रेस लगाते हैं?
* क्या आपने स्कूटी का इंश्योरेंस करवा रखा है?
* क्या आप एंबुलेंस या अग्निशमन वाहनों को निकलने का रास्ता देते हैं?

6. साइकिल (प्रदूषण रहित सवारी)

* आपको साइकिल से स्कूल आने में कितना समय लगता है?
* क्या आप साइकिल के टायर में हवा ठीक से भरवाते हैं?
* क्या आप साइकिल पार्किंग स्थान में अच्छी तरह पार्क करते हैं?
* क्या साइकिल चलाते वक्त आप अपने साथी साइकिल सवारों से बातें करते हैं?
* क्या आप साइकिल पार्क करने के बाद उसे कीवर्ड में लॉक करते हैं?

कविता

कहनी है यह बात हमें,
उन पैदल चलने वालों से।
विद्यालय जाने वालों से,
सब प्यारे-प्यारे बालों से।

आते-जाते समय सड़क पर,
हर वाहन पर नज़र रखो।
अपने प्राणों की रक्षा के,
हर साधन पर नज़र रखो।

फुटपाथों पर चलो हमेशा
निज जीवन से प्यार करो
भागो नहीं सड़क के ऊपर,
धीरे-धीरे पार करो।

सदा लाल सिग्नल पर रुकना
और हरे पर चलना है।
पीला सिग्नल आ जाए तो
धीरे-धीरे चलना है।

बस से जाने वाले बच्चो !
समय से पहले ही चला करो
चलती बस में कभी चढ़ो ना।
अपना-सबका भला करो।

बस में चढ़कर शोर मचाना,
बिल्कुल अच्छी बात नहीं।
बस के चालक को धमकाना,
बिल्कुल अच्छी बात नहीं।

अच्छे बच्चे, प्यारे बच्चे
सँभल-सँभल कर चलते हैं।
अपनी सुरक्षा, सबकी रक्षा करते,
सड़क पर चलते हैं।

5 यातायात संकेतक (चिह्न)

'यातायात संकेतक' सड़क और फुटपाथ पर सुरक्षित आवागमन, यातायात को सुचारु रूप से चलाने, चालक को आगे आने वाले खतरों से सावधान करने तथा रास्ते में उपलब्ध सुविधाओं एवं सहायता के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन करने में सहायक होते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह वाहन चालक हो या पैदल यात्री, उसे सड़क पर अलग-अलग प्रकार के चिह्नों, सूचकों को समझना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए।

कुछ महत्वपूर्ण गोलाकार संकेत इस प्रकार हैं

स्टॉप संकेत :
यह संकेत उन रास्तों के लिए होता है, जहाँ ट्रैफिक को मुख्य सड़क या चौराहे से प्रवेश करने से पूर्व रुकना होता है।

रास्ता दें :
इस संकेत का अर्थ है कि आप सड़क पर चल रहे अन्य वाहनों का रास्ता दें।

प्रवेश निषेध संकेत :
यह संकेत उन जगहों पर होता है जहाँ सभी वाहनों का प्रवेश निषिद्ध होता है।

सीधा जाना मना :
यह संकेत उन जगहों पर होता है, जहाँ वाहनों का सीधे अंदर जाना मना हो।

एकतरफा मार्ग संकेत :
यह संकेत उन सड़कों पर होता है, जहाँ ट्रैफिक केवल एक दिशा में जाने के लिए होता है।

दोनों दिशाओं में वाहनों का यातायात निषेध संकेत :
यह संकेत उन जगहों पर होता है जहाँ दोनों दिशाओं में यातायात निषिद्ध होता है।

यातायात हेतु कुछ अनिवार्य संकेत इस प्रकार हैं

One way signs-vehicles prohibited in one direction	One way signs-vehicles prohibited in one direction	Straight Prohibited or no entry	Vehicles prohibited in both direction
Right turn prohibited	Left turn prohibited	Overtaking prohibited	Pedestrians prohibited
Axle load limit	All vehicles prohibited	Two wheelers prohibited	Height limit
Load limit	Horns prohibited	Giveway	Length limit

चेतावनी संकेत

'चेतावनी संकेत' वाहन चालकों को सड़कों पर असामान्य परिस्थितियों या खतरों के बारे में चेतावनी देने के लिए होते हैं। ये संकेत आकार में तिकोने होते हैं, जैसे –

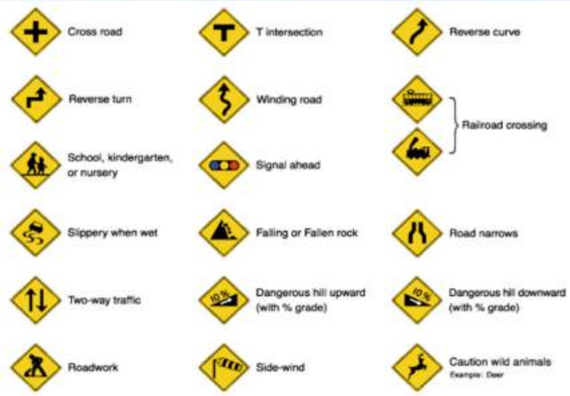

सूचक संकेतक

'सूचक संकेतक' चालकों को दिशा, गंतव्य स्थल, सड़क किनारे उपलब्ध सुविधाओं तथा जानकारियों आदि प्रदान करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। 'सूचक संकेतक' चौकोर या आयाताकार होते हैं।

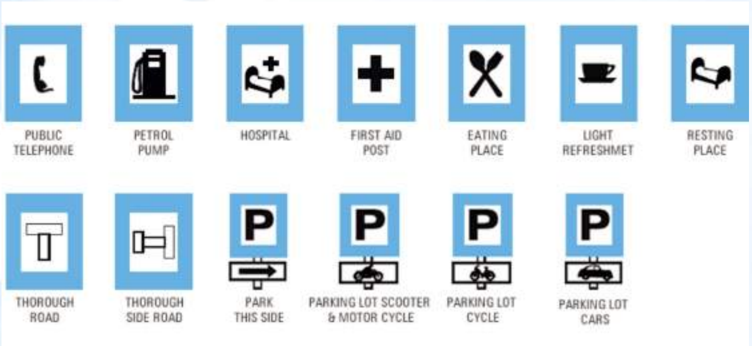

अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिहृन

यह चिहृन सड़क पर पड़ने वाले विभिन्न गंतव्यों (स्थानों) की दिशा और विपरीत दिशा को इंगित करता है। आम तौर पर चौराहे (इंटरसेक्शन) से पहले ये चिहृन लगाए जाते हैं।

दिशा चिहृन

ये चिहृन इस पर लिखे गए गंतव्य/स्थान की दिशा और दूरी दर्शाते हैं। ये चिहृन बोर्ड ड्राइवरों को रास्ता दिखाने में मददगार होते हैं। इसलिए ये दिशा संकेतक चालकों के समय और ईंधन में बचत करने में बहुत मददगार होते हैं।

पुनः आश्वासन चिहृन

यह चिहृन ड्राइवर को आश्वस्त करता है कि वह सही रास्ते पर है। यह लिखे गए स्थानों की दूरी भी दर्शाता ह।

स्थान पहचान चिहृन

यह चिहृन क्षेत्र की पहचान दर्शाता है यह चिहृन बताता है कि उस क्षेत्र की सीमा शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर चित्रात्मक रूप में यह चिहृन लगाया जाता है।

पैट्रोल पम्प

यह सूचनात्मक चिह्न दर्शाता है कि आगे एक पैट्रोल पम्प है। कई बार इस चिह्न पर दूरी भी इंगित की जाती है, जो यह दर्शाती है कि चिह्न के बोर्ड से पैट्रोल पम्प की दूरी कितनी है।

सार्वजनिक टेलीफोन

यह चिह्न सड़क के पास टेलीफोन की उपलब्धता इंगित करता है।

अस्पताल

यह चिह्न इंगित करता है कि आस-पास अस्पताल है। इस रास्ते पर गाड़ी चलाते समय ड्राइवर को सतर्क रहना चाहिए और अनावश्यक रूप से हॉर्न नहीं बजाना चाहिए।

प्राथमिक उपचार केन्द्र

यह चिह्न दर्शाता है कि आस-पास प्राथमिक उपचार सुविधा उपलब्ध है, जो आपात स्थिति या दुर्घटना के मामले में बहुत उपयोगी साबित होती है। आमतौर पर ये चिह्न राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों पर लगाए जाते हैं।

भोजन स्थान

यह चिह्न इंगित करता है कि आस-पास भोजन का स्थान है। आमतौर पर राजमार्गों और लंबी दूरी की सड़कों पर यह चिह्न देखा जा सकता है।

अल्पाहार

यह चिह्न इंगित करता है कि सड़क के नज़दीक अल्पाहार की सुविधा उपलब्ध है।

विश्राम स्थल

सफ़र के दौरान यह चिह्न विश्राम के लिए मोटल या इस प्रकार के अन्य विश्राम गृह के नज़दीक लगाया जाता है। राजमार्गों पर भी ये चिह्न देखे जा सकते हैं।

सड़क बंद है

यह चिह्न उन सड़कों के प्रवेश पर लगाया जाता है, जहाँ निकासी उपलब्ध नहीं है।

पार्श्व सड़क बंद है

यह चिह्न इंगित करता है कि मुख्य सड़क की पार्श्व सड़क बंद है। यह ड्राइवर को तद्नुरूप वाहन चलाने में मदद करता है।

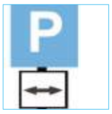

गाड़ी इस दिशा में खड़ी करें

यह चिह्न गंतव्य स्थल पर यह दर्शाने के लिए लगाया जाता है कि आप अपना वाहन कहाँ खड़ा करें? यह पार्क किए जाने वाले वाहन की किस्म भी दर्शाता है।

दोनों दिशाओं में गाड़ी खड़ी करने की जगह

यह चिह्न गंतव्य स्थल पर यह दर्शाने के लिए लगाया जाता है कि आप अपना वाहन कहाँ खड़ा करें? यह चिह्न इंगित करता है कि दोनों तरफ़ वाहन पार्क किए जा सकते हैं।

स्कूटर और मोटर साइकिलें खड़ी करने की जगह

यह चिह्न गंतव्य स्थान से पूर्व या आस-पास उस जगह पर लगाया जाता है जहाँ स्कूटर और मोटर साइकिल पार्क की जा सकती हैं।

साइकिलें खड़ी करने की जगह

यह चिह्न गंतव्य स्थान से पूर्व या आस-पास उस जगह पर लगाया जाता है जहाँ साइकिलें खड़ी की जा सकती हैं?

टैक्सी खड़ी करने की जगह

यह चिह्न गंतव्य स्थान से पूर्व या आस-पास उस जगह पर लगाया जाता है, जो सिर्फ टैक्सियों को पार्क करने के लिए होती है।

ऑटो रिक्शा खड़ा करने की जगह

यह चिह्न गंतव्य स्थान से पूर्व या आस-पास उस जगह पर लगाया जाता है, जो ऑटो रिक्शा पार्क करने के लिए होता है। यह नागरिकों के लिए भी मददगार होता है, क्योंकि वे इस स्थान से सुविधा पूर्वक ऑटो रिक्शा ले सकते हैं।

साइकिल रिक्शा खड़ा करने की जगह

यह चिह्न गंतव्य स्थान से पूर्व या आस-पास उस जगह पर लगाया जाता है, जो साइकिल रिक्शा को पार्क करने के लिए होता है।

बाढ़ प्रमापी

यह चिह्न नदी, नहर, झील आदि के नज़दीक राजमार्गों पर लगाया जाता है। यह चिह्न जल-स्तर के बारे में इंगित करता है। यह जल के खतरनाक स्तर के बारे में भी संकेत करता है।

कार्यकलाप-1

शीर्षक : सिग्नल बोर्ड का खेल

समय
35 मिनट

आयु वर्ग
10-12 वर्ष

सामग्री
ट्रैफ़िक सिग्नल का पोस्टर या चार्ट

उद्देश्य

सिग्नल बोर्ड के बारे में अवगत होकर बच्चे सिग्नल बोर्ड की भाषा तथा उसके महत्व को समझ सकेंगे।

प्रक्रिया

अध्यापक बच्चों से चर्चा शुरू करेंगे। चर्चा की शुरुआत निम्न तरीके से होगी -

- क्या आपने सड़क पर जाते समय सड़क के किनारे या ऊपर लगे हुए नीले तथा पीले रंग के बोर्ड देखे हैं? आपके अनुसार, सड़क पर ये किसलिए लगाए जाते हैं?

ऊपर दी गई आकृतियों में वही संकेत बनाने की कोशिश करें, जो आपने रोड पर लगे बोर्ड पर देखे हैं। इसके बाद अध्यापक सिग्नल का एक चार्ट तथा पोस्टर दिखाएँ -

- अब बच्चे 'सिग्नल-चिह्न चार्ट' की सहायता से उसी संकेत को बनाने की कोशिश करें, जो उन्होंने पहले आकृतियों में बनाया था। इसके बाद उन्हें दोनों चित्रों की तुलना करने के लिए कहें।
- चार्ट की मदद से बच्चे वे सिग्नल चिह्न भी बनाएँ, जिनका ज्ञान उन्हें पहले से ही था और जो उन्हें बहुत आकर्षित करते रहते हैं।

आकलन

अध्यापक क्रियाकलाप के दौरान, बच्चों की भागीदारी, पहल करना तथा कुछ अलग प्रकार के विचार या सुझाव देना आदि बिन्दुओं के आधार पर आकलन कर सकते हैं।

कार्यकलाप-2

शीर्षक : लेन बताओ

समय	आयु वर्ग	सामग्री
35 मिनट	10-12 वर्ष	काला चार्ट, डबल साइड टेप, पेस्टल शीट, यातायात के विभिन्न साधनों के चित्र

उद्देश्य

- सड़क पर चलने वाले वाहनों को बच्चे हल्के तथा भारी वाहनों में वर्गीकृत कर सकेंगे।
- वे वाहनों की सही लेन समझ सकेंगे।

प्रक्रिया

- काले वाले चार्ट को सड़क के आकार में काट कर सफेद रंग या चॉक से लाइनें खींचकर विभाजक बनाएँ।
- अब बच्चों को 5-6 बच्चों के समूहों में विभाजित करें।
- प्रत्येक समूह को यातायात के विभिन्न साधनों वाहनों के चित्रों को उनके वर्गीकरण के आधार पर बनाकर उनके पीछे टेप लगाने के लिए कहें।

वाहनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से करें :-

- दौपहिया वाहन
- हल्के वाहन
- भारी वाहन
- बिना ईंधन से चलने वाले वाहन

अब सभी समूहों के बच्चों से अपने-अपने चार्ट पेपर पर वाहन को उनकी सही लेन में टेप से लगाने को कहें।

उदाहरण के लिए: दौपहिया वाहन स्कूटर कौन-सी लेन में चलना चाहिए, उसे उसी लेन में टेप से चिपकाएँ।

आकलन

क्रियाकलाप के दौरान अध्यापक बच्चे की समूह के साथ प्रतिक्रिया करने क्रियाकलाप में रुचि, लेने या पहल करने तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों के आधार पर उनका आकलन करेंगे।

कार्यकलाप-3

शीर्षक : आओ मिलकर सड़क बनाएँ और उस पर चलना सीखें

समय	आयु वर्ग	सामग्री
35 मिनट	12-16 वर्ष	जूते, रस्सी, सफ़ेद चूना, ट्रैफिक लाइट कट आउट, नंबर कट आउट

उद्देश्य

- वे गति सीमा की आवश्यकता को समझ पाएँगे।
- वे ओवरटेकिंग के नियमों को समझ पाएँगे।

प्रक्रिया

- जूते, रस्सी चूने की मदद से मैदान में रास्ता बनाएँ।
- बच्चों को 5-6 बच्चों के समूहों में विभाजित करें। प्रत्येक समूह को एक-दूसरे की मदद से वाहन का आकार लेने को कहें।
- सभी बच्चों को सभी वाहनों का अभिनय करते हुए रास्ते व सड़क पर अपनी-अपनी लेन में चलने के लिए कहें।
- अभिनय करते समय बच्चे वाहन के संकेतकों के लिए अपने हाथों तथा वाहन की गति को दर्शाने के लिए नंबर कटआउट हाथ में लेकर दर्शाएँगे।
- अभिनय के दौरान वे ओवरटेकिंग के साथ-साथ में ट्रैफिक लाइट का लाल, हरा व पीला होने पर लिए जाने वाले कदम को भी अभिनय के माध्यम से दर्शाएँ।
- इस तरह बच्चों को वाहन चलाने के मूल नियम व सावधानियों को रोचक तरीकों के माध्यम से अवगत करवाया जा सकता है।

इसके पश्चात् अध्यापिका छात्रों के साथ चर्चा करें

- यदि हम गति सीमा (स्पीड लिमिट) को नहीं मानेंगे तो क्या गम्भीर परिणाम हो सकते हैं? उनका सड़क उपयोगकर्ताओं पर क्या असर पड़ सकता है?
- वाहन को मोड़ते समय हमें इंडीकेटर क्यों देना चाहिए? इसकी आवश्यकता क्यों है?

कविता

सिग्नल यातायात के देते सबको ज्ञान।
इन्हें देखकर ही चलें, रहे सलामत जान।

हर संकेतक चिह्न का, रखें बंधुवर ध्यान।
सुखद होय आवागमन, रहें सुरक्षित प्राण।

जाना जहाँ निषिद्ध हो, नहीं जाइए आप।
उल्लघंन कर नियम का, नहीं लीजिए शाप।

संकेतक रोकें अगर, रुकिए आप तभी।
नियमों का पालन करें विनती करते हम सभी।

देना खतरों की चेतावनी, और बचाना जान।
संकेतकों का काम है, करें काम आसान।

6 ट्रैफिक लाइट संकेत

ट्रैफिक लाइट्स चौराहों पर यातायात को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। ट्रैफिक लाइट्स के अलावा चौराहों पर यातायात को नियंत्रित करने के लिए बिजली से संचालित होने वाले तीर के निशान भी होते हैं, जो यातायात के प्रवाह को निशान की दिशा में नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। यातायात को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु मुख्यतः निम्नलिखित ट्रैफिक लाइट्स का उपयोग किया जाता है –

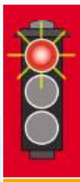

आकलन

क्रियाकलाप के दौरान अध्यापक बच्चे की समूह के साथ प्रतिक्रिया करने क्रियाकलाप में रुचि, लेने या पहल करने तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों के आधार पर उनका आकलन करेंगे।

नारंगी बत्ती

नारंगी बत्ती भी रुकने का संकेत देती है। यदि आप चौराहे में प्रवेश करते हैं और आप देखते हैं कि नारंगी बत्ती हो गई है तो आपको ज़ेबरा क्रॉसिंग से पहले रुक जाइए, लेकिन यदि आप चौराहे पर आ गए हैं या आपने ज़ेबरा क्रॉसिंग को पार कर लिया है और नारंगी बत्ती हो गई है तब सावधानी पूर्वक चौराहा पार कर लीजिए।

हरी बत्ती

हरी बत्ती का अर्थ है कि आप चौराहे में चल रहे पैदल यात्रियों और अन्य वाहनों को जगह देते हुए सावधानी पूर्वक सड़क या चौराहा पार कर सकते हैं। यह बत्ती सड़क पर आगे बढ़ने का संकेत देती है।

फ़्लैशिंग सूचक

कई बार किसी चौराहे पर ट्रैफिक लाइट के लिए लाल तथा नारंगी फ़्लैशिंग सूचकों का प्रयोग किया जाता है। लाल फ़्लैशिंग सूचक का अर्थ है कि आपको स्टॉप लाइन को पार करने से पूर्व अपने आस-पास देखना चाहिए कि उसे पार करना सुरक्षित है या नहीं। यदि सामने से कोई वाहन या व्यक्ति आ रहा हो तब अपने वाहन को रोकना चाहिए। फ़्लैशिंग नारंगी बत्ती वाहन चालक को धीमे तथा सावधानी पूर्वक स्टॉप लाइन या चौराहे पर चलने का संकेत देती है।

पैदल पार सूचक

पैदल पार सूचक बत्ती सड़क पर पैदल चल रहे व्यक्तियों को सुरक्षित रूप से सड़क पार करने में मदद करती है। एक पैदल यात्री के रूप में जब आप हरे रंग का 'चलें' या ट्रैफिक लाइट में हरे रंग की लाइट के भीतर किसी चलते हुए व्यक्ति का चित्र देखें तो आप सड़क पार कर सकते हैं। पैदल चल रहे व्यक्तियों को सड़क पार करने के लिए ज़ेबरा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। यदि सड़क पर पैदल पार पथ या सब-वे बने हुए हैं, तब सड़क पार करने के लिए उनका उपयोग आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए।

यातायात पुलिस के हाथ के संकेत

यदि यातायात को ट्रैफिक पुलिस द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है तो उनके हाथों के संकेतों का पालन करते हुए चौराहे पर वाहन को रोकना तथा चलाना चाहिए। आधुनिक ट्रैफिक सिग्नलों के अविष्कार से पहले और वर्तमान में भी कई जगहों पर आपातकालीन या अन्य स्थिति में सड़कों पर वाहनों को ट्रैफिक पुलिस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यदि सड़क पर यातायात को ट्रैफिक पुलिस द्वारा नियंत्रित किया जा रहा हो तो निम्नलिखित चित्रों द्वारा प्रदर्शित संकेतों को समझिए -

कार्यकलाप-1

शीर्षक : कहानी 'सूइयों का खेल'

एक बार जब छोटा चिंटू अपनी मम्मी के साथ स्कूल से घर आ रहा था। तब उसने देखा कि आज चौराहे की ट्रैफिक लाइट काम नहीं कर रही है। सड़क के बीच में सफेद शर्ट तथा गहरे नीले रंग की पैंट पहने एक आदमी हाथ से इशारे कर रहा है। चिंटू उसके इशारों को समझ नहीं पाया तो उसने मम्मी से पूछा, "मम्मी, सड़क के बीच में ये अंकल कौन हैं?" तो मम्मी ने हँसकर जवाब दिया, "यह अंकल ट्रैफिक पुलिस में काम करते है, ट्रैफिक लाइट न होने पर यातायात को व्यवस्थित रखने के लिए सड़क के बीच में खड़े होकर हाथ के संकेतों से वाहन चालकों की मदद करते हैं।"

चिंटू अभी भी इशारों का मतलब समझ नहीं रहा था। उसने फिर अपनी मम्मी से पूछा, "अंकल हाथ को बार-बार हिला क्यों रहे थे?" मम्मी ने कहा, "यह मैं आपको घर पर बताऊँगी।" थोड़ी देर में वह दोनो घर पहुँचे, तो मम्मी ने चिंटू को बुलाया और कहा, "अब पूछो चिंटू, तुम क्या पूछना चाह रहे थे"।

चिंटू बोला, ''मम्मी, अंकल के किस इशारे से यातायात रुकता है?'' मम्मी ने चिंटू को समझाने का आसान रास्ता सोचा और कहा, ''देखो, जब वह हमारी तरफ़ देखते हुए अपना दायाँ हाथ घड़ी की सूई की तरह 6 से 11 बजे की दिशा में उठाते हैं तथा हथेली हमारी ओर होती है। इसका मतलब है कि हमें रुकना चाहिए। जब वह अपनी कलाई मोड़ते है, (जैसे मंदिर की घंटी बजा रहे हों) तो इसका मतलब है कि हम आगे जा सकते हैं।''

इतना समझने के बाद चिंटू के मन में एक और सवाल आया। उसने दोबारा पूछा, ''मम्मी, पीछे से आने वालों को वह कैसे रोकेंगे?'' मम्मी ने बताया, ''जब वह अपना सीधा हाथ 6 से 3 बजने की दिशा में उठाते हैं तो पीछे से आने वाले वाहन रुक जाते हैं। अगर हमें आगे-पीछे के वाहन साथ रोकने हों तो क्या करेंगे?'' मम्मी ने चिंटू से पूछा।

चिंटू सोच में पड़ गया। उसने झटपट एक काग़ज़ पर पेंसिल से चित्र बनाया, ''सामने के लिए और पीछे के लिए अर्थात् दोनों को रोकने के लिए होगा, ऐसे ....?''

मम्मी ने कहा, ''एकदम सही। इन इशारों के बारे में और क्या पूछना चाहते हो?''

''इन इशारों के बारे में आपको जो-जो पता हो, बताइए न?'' चिंटू ने कहा

मम्मी ने बताया, ''दाईं तरफ़ के यातायात को रोकने का आसान तरीका है - अपना सीधा हाथ 6 से 10 की दिशा में लेकर जाओ और हथेली दाईं तरफ़ खोलो। साथ में, बायाँ हाथ 6 से 3 की दिशा में। इससे दाईं तरफ़ के वाहन रुक जाएँगे तथा बाईं तरफ़ के वाहन चलने लगेंगे।''

चिंटू ने एक और चित्र बनाया, ''ऐसे ....?''

मम्मी ने उत्तर दिया, ''हाँ, अब दाईं तरफ़ को भी जाना है तो इस बार बाईं तरफ़ का ट्रैफिक रोको। बायाँ हाथ 6 से 2 की दिशा में ले जाकर तथा हथेली बाईं तरफ़ खोलकर तथा दाएँ हाथ को 6 से 11 की दिशा में उठाओ।'' चिंटू ने अगला चित्र बनाया।

पर अब तक चिंटू थक गया था। वह बोला, ''बस मम्मी, बाकी मैं कल सीखूँगा। यह तो बहुत मुश्किल काम है।'' मम्मी ने हँसकर पूछा, ''सबको एकसाथ रोक दें?'' चिंटू ने झट से पूछा, ''वह कैसे?'' मम्मी ने कहा, ''दोनों हाथों को उठाओ, मतलब दोनों हथेलियाँ बाहर की तरफ़ और रुक गए सब.....ऐसे।''

(दिशाओं को दर्शाता बच्चों के साथ घड़ी का चित्र)

आकलन

अगर कोई आप से इशारे में बात करने के लिए कहे तो आप कैसे करेंगे, करके दिखाओ।

1. पेट में दर्द के लिए।
2. दोस्त को बुलाने के लिए।
3. भोजन का स्वाद बताने के लिए।
4. पानी माँगने के लिए।
5. डॉक्टर को बुलाने के लिए।

कार्यकलाप-2

शीर्षक : अरे ! टक्कर हो गई ....

समय	आयु वर्ग	सामग्री
35 मिनट	8-12 वर्ष	सफेद रंग का चॉक पाउडर, ब्लैकबोर्ड, चॉक मार्कर

उद्देश्य :

- विद्यार्थी ट्रैफिक संकेतों की आवश्यकता समझ सकेंगे।
- विद्यार्थी ट्रैफिक पुलिस के हाथों की विभिन्न मुद्राओं के अर्थ समझ सकेंगे।
- विद्यार्थी समूह में कार्य करना सीखेंगे।

कार्यविधि :

- कक्षा में से एक विद्यार्थी को ट्रैफिक पुलिस का रोल दिया जाएगा, जो कक्षा के मध्य में कुर्सी पर खड़ा होगा तथा हाथ की विभिन्न मुद्राओं से यातायात व्यवस्थित करेगा।
- चारों तरफ़ चौराहे का दृश्य चॉक की मदद से बनाया जाएगा, और प्रत्येक सड़क पर 4-6 विद्यार्थी यातायात के रूप में चलेंगे।
- यातायात में विद्यार्थी ट्रैफिक पुलिस के इशारों पर चलेंगे।
- ग़लत संकेत समझने पर या ध्यान न देने पर टक्कर होते ही सभी विद्यार्थी मिलकर बोलेंगे - 'अरे ! टक्कर हो गई !''
- विद्यार्थी कुछ समय के अंतराल पर अपनी जगह बदलेंगे तथा कुछ विद्यार्थी पैदल पथ यात्री का भी रोल अदा करेंगे।

विशेष तथ्य

अध्यापिका गतिविधि से पहले हाथ के संकेतों के मतलब छात्रों को बताएँ, जैसे :

- घड़ी की सुई के अनुसार हाथ घुमाना।
- यातायात रोकने के लिए उसी दिशा में हथेली खोलना आदि।

यह ध्यान दिया जाए कि बच्चे बहुत तेज़ न चलें अन्यथा टक्कर होने पर चोट लग सकती है।

आकलन

गतिविधि के दौरान छात्रों का निम्न बिन्दुओं के आधार पर अवलोकन किया जाए -

1. वद्यार्थी अपनी लेन में हैं या बाहर?
2. विद्यार्थी आगे निकलने की होड़ में लगे हैं?
3. क्या उनका ध्यान ट्रैफिक पुलिस के संकेतों पर है?
4. क्या वे उन संकेतों का पालन कर रहे हैं?
5. क्या पैदल-यात्री अपने सुरक्षा नियमों से परिचित हैं? क्या उनका ध्यान यातायात की दिशा में केन्द्रित है?

कार्यकलाप-3

शीर्षक : आओ चलें ....

समय	आयु वर्ग	सामग्री
35 मिनट	6-9 वर्ष	हरे, नारंगी तथा लाल रंग की वस्तुओं का समूह, एक खाली बॉक्स

उद्देश्य :

- विद्यार्थी ट्रैफिक लाइट में प्रयुक्त बत्तियों के संकेतों का अनुमान लगा सकेंगे।
- विद्यार्थी सामूहिक रूप से कार्य करना सीखेंगे।

प्रक्रिया :

सर्वप्रथम अध्यापिका द्वारा सभी वस्तुओं को एक बॉक्स में रखा जाएगा और उसके बाद सभी विद्यार्थियों को खेल के नियम बताए जाएँगे, जैसे -

- अध्यापिका द्वारा पाँच गिनने तक सभी विद्यार्थी कक्षा में चहलकदमी करेंगे।
- गिनती पूरी होते ही सभी मिलकर दो बार ताली बजाएँगे तथा अध्यापिका के हाथ में रखी हुई वस्तु के रंग को देखेंगे।
- वस्तु लाल होने पर सभी बैठ जाएँगे, नारंगी होने पर सभी अपना दायाँ हाथ - दायाँ पैर आगे करेंगे तथा हरे रंग पर पुनः चलने लगेंगे।
- छोटे से अंतराल के पश्चात् सभी दो बार ताली बजाएँगे तथा यही खेल फिर से शुरू करेंगे।

विशेष तथ्य

- गतिविधि पूर्ण होने पर ट्रैफिक लाइट का चित्र दिखाकर सामान्य परिवेश से जोड़ने का प्रयास किया जाए।
- खेल के लिए उपयोग में कोई भी वस्तु लाई जा सकती है, जैसे - सेब, पेंसिल, रूमाल, कागज़ आदि जो कि इन रंगों को दर्शाते हों।

कार्यकलाप-4

शीर्षक : देखो बनाओ और बताओ जी

समय	आयु वर्ग	सामग्री
35 मिनट	8-12 वर्ष	एक खाली डिब्बा, आवश्यक यातायात चिहृन शीट, पर्चियाँ जिन पर अनिवार्य यातायात चिहृन बने हों।

उद्देश्य :

छात्र अनिवार्य यातायात चिहृनों का बोध कर पाएँगे।

प्रक्रिया :

छात्रों को उनकी संख्यानुसार चार समूहों में बाँटा जाएगा। प्रत्येक समूह को आवश्यक यातायात चिहृनों की शीट दी जाएगी जिस पर सभी चिहृन उनके नामों के साथ छपे होंगे। छात्रों को 5-10 मिनट का समय दिया जाएगा। सभी छात्र शीट में बने सभी चिहृनों को अच्छी तरह देखकर समझ लें। इसके पश्चात् प्रत्येक समूह से एक-एक कर छात्र आगे आएगा और खाली डिब्बे में रखी पर्चियों में से एक पर्ची को उठाएगा और उस पर बने चिहृन को ब्लैक बोर्ड पर बनाएगा तथा उसके समूह को वह चिहृन पहचानना होगा। अगर वह उस चिहृन को पहचान पाएगा तो उस समूह को अंक दिए जाएँगे। अगर वह नहीं पहचान पाए तो वही चिहृन अगले समूह से पूछा जाएगा। अंत में जिस समूह के सबसे ज्यादा अंक होंगे उसे विजेता घोषित किया जाएगा।

कविता
तीन मेहमान

'नया बाजार' था वह नाम,
गाड़ियाँ चलती जहाँ सुबह-शाम।
हर दिन होता चक्का जाम,
यह था वहाँ रोज़ का काम।

पर एक रात आया आँधी-तूफ़ान,
बाज़ार हुआ सारा सुनसान।
गुपचुप-गुपचुप गलियों में,
खड़े हुए थे तीन मेहमान।

सुबह हुई तो देखा सबने
नए खंभे थे सड़क पर आए।
ये थे हमारे तीनों मेहमान,
हाथ जोड़ कर हमने उन्हें किया प्रणाम।

पहला मेहमान सेब-सा लाल,
गुस्से से हुआ और भी लाल।
हर जगह रोकना, हर जगह टोकना,
यही था उसका रोज़ का हाल।

दूसरा मेहमान नारंगी आया,
संतरे-सी थी उसकी आभा।
सबको उसने धीरज बँधवाया,
धीरे से तीसरे (हरे) को बुलवाया।

फिर आया तीसरा मेहमान,
हरा-भरा सबके मन भाया।
लाल-पीले को दूर बिठाया,
आगे जाने का रास्ता दिखलाया।

ये थे हमारे तीनों मेहमान,
रोकना,मनाना और चलाना,
ये थे उन तीनों मेहमानों के काम।

7 ड्राइविंग लाईसेंस

ड्राइविंग लाइसेंस चालक के व्यक्तिगत जीवन के साथ-साथ सड़क के अन्य वाहन चालकों के जीवन के लिए ख़तरा पैदा किए बिना ड्राइव करने के लिए एक प्रमाणपत्र है। ड्राइविंग लाइसेंस सड़क के नियमों के विषय में सम्भावित चालक की समझ, उसकी योग्यता, क्षमता आदि को जाँच कर सड़क पर एक सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा देने में मदद करता है। किसी भी व्यक्ति को तब तक ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकता, जब तक कि वह उसके लिए निर्धारित योग्यताओं तथा मापदंडों को पूरा नहीं कर लेता। भारत में मोटर वाहन ड्राइविंग के लिए आयु-मापदंड निम्नलिखित रूप से निर्धारित किए गए हैं :-

- 50 सीसी तक की इंजन क्षमता के (हल्के मोटर वाहन) चलाने के लिए 16 वर्ष, जैसे - इलैक्ट्रिक स्कूटी।
- व्यावसायिक वाहन (भारी मोटर वाहन) चलाने के लिए 20 वर्ष आयु रखी गई है, जैसे - ट्रक,बस तथा निजी सेवा वाहन आदि।
- उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य कोई वाहन चलाने के लिए 18 वर्ष आयु रखी गई है।

ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार

दिल्ली में लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा दो प्रकार के लाइसेंस ज़ारी किए जाते हैं -

1. प्रशिक्षु लाइसेंस : यह लाइसेंस नए चालक को वाहन चलाना सीखने हेतु प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षु लाइसेंस, यातायात के सामान्य नियमों को जानने के पश्चात् ज़ारी किया जाता है। यह लाईसेंस छह माह तक ही मान्य होता है।
2. ड्राइविंग लाइसेंस : प्रशिक्षु लाइसेंस के पश्चात् योग्य व्यक्तियों (भारतीय अथवा विदेशी नागरिकों) को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है। इस लाइसेंस के द्वारा उन्हें इस पर उल्लिखित श्रेणी के वाहनों को सड़क पर चलाने की अनुमति प्रदान की जाती है। यह लाइसेंस पूरे भारत में वैध होता है। दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस 20 साल की अवधि तक के लिए या ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने वाले व्यक्ति की आयु 50 साल होने की तिथि तक (जो भी कम हो) के लिए जारी किया जाता है।

Test Can't Be **Fixed Now**

- Driving licences issued daily in Delhi | **about 2,000**
- Learner's licences issued daily in Delhi | **about 1,400**
- Number of regional transport offices | **13**
- Total driving licences issued in city in the past 16 months | **over 10 lakh**
- Pass percentage | **99.9%**
- RTO-wise break-up of licences issued (from 1.10.2008 to 11.03.2010)

Regional office	Type of licence		Smart card based	
	Learners	International	Courier	MLO
Vasant Vihar	1,862	0	1,998	49
Surajmal Vihar	1,517	43	2,943	21
Sarai Kale Khan	742	21	1,309	9
IP	277	12	448	12
Janakpuri	3,177	0	5,284	60
Loni	3,746	0	5,365	79
Mayur Vihar	1,761	25	2,887	8
Palam	2,715	3	4,005	27
Sheikh Sarai	5,036	0	8,315	120
Wazirabad Depot	2,323	37	3,652	46
Rohini	3,895	0	4,544	27
Rajouri Garden	1,324	0	1,767	13
Mall Road	1,679	16	2,440	31
TOTAL	30,054	157	44,957	502

कविता

गाड़ी अगर चलानी है तो
फिर लाइसेंस ज़रूरी है।
आवश्यकता इसे समझिए
मत समझो मजबूरी है।

प्रथम चलाना सीखें गाड़ी,
फिर प्रतिदिन अभ्यास करें।
फिर ट्रैफिक ऑफिस में जाकर,
उचित परीक्षा पास करें।

पास परीक्षा हो जाए तब ही,
यह पत्र प्रमाणित मिलता है।
वाहन चालक का सुमन हृदय
इसको पा कर ही खिलता है।

बिना अठारह वर्ष हुए,
यह लाइसेंस न मिलता है
गाड़ी चलाने की न करो जल्दी,
वरना दण्ड भुगतना पड़ता है।

8 यातायात के साधनों का वातावरण पर प्रभाव

आधुनिक मानव सुविधाभोगी हो गया है। वह कम से कम परिश्रम करके अधिक से अधिक फल की कामना करता है। मनुष्य की इस तृष्णा का कोई अन्त नहीं है। मानव को सुविधाभोगी बनाने में विज्ञान का महान योगदान है। विज्ञान की सहायता से मानव ने अनेक प्रकार के यंत्र विकसित किए हैं, जिनकी मदद से वह कम शारीरिक परिश्रम करके अधिक लाभ प्राप्त करने में लगा है। इस वैज्ञानिक उन्नति में मनुष्य ने भस्मासुर की तरह अपने आपको ही नष्ट कर लिया है।

एक समय था जब सुबह होने पर पक्षियों की चहचहाट से वातावरण में संगीत घुल जाता था। बागों में फूलों पर त्तिलियाँ उड़ती थीं। जंगलों में जंगली जानवरों की चहल-पहल होती थी। नदियों में मछलियाँ निःसंकोच तैरा करती थीं। चारों ओर जीवन में हलचल मची रहती थी।

आज वातावरण इतना प्रदूषित हो गया है कि पशु-पक्षियों की अनेक प्रजातियाँ लुप्त हो चुकी हैं और अनेकों के लुप्त होने का खतरा बना हुआ है। वायुमंडल को प्रदूषित करने में कल-कारखानों के अलावा यातायात के साधनों का बहुत बड़ा योगदान है। मनुष्य ने यातायात के साधन अपनी सुविधा के लिए बनाए परन्तु वही साधन अब भयंकर रोगों को उत्पन्न करने में सहायक बन रहे हैं।

जिस वायुमंडल में प्राणी साँस लेते हैं, गाड़ी से निकलने वाला धुआँ उस वायुमंडल को प्रदूषित कर रहा है। इससे कई तरह की भंयकर जानलेवा बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। गाड़ियों से जो धुआँ निकलता है, वह पूरी तरह जला हुआ नहीं होता और उसमें अनेक विषैली गैसें मिली होती हैं, जो हमारे वातावरण को प्रदूषित करने के साथ-साथ जीवन के लिए घातक हैं। वायुमंडल को प्रदूषित करने के निम्नलिखित कारक हैं :-

1. **कार्बन मोनो ऑक्साइड :** (CO) यह गंधहीन तथा रंगहीन गैस होती है, जो पैट्रोल तथा डीज़ल के पूरी तरह न जलने से उत्पन्न होती है। यह हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करती है।
2. **क्लोरो-फ्लोरो कार्बन** : (CFC) यह गैस मुख्य रूप से फ्रिज़ तथा ए.सी. से निकलती है। आज लाखों गाड़ियों में ए.सी. लगे हैं वे दिन-रात क्लोरो-फ्लोरो कार्बन उत्सर्जित करते हैं। यह वायुमंडल के ऊपरी वातावरण में पहुँचकर 'ओज़ोन परत' को प्रभावित करती है। यदि ओज़ोन को नुकसान होता है तो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से भविष्य में पृथ्वी पर जीवन नष्ट होना संभावित है।
3. **लैड** : यह पैट्रोल, डीज़ल, बालों को रँगने वाले उत्पादों में पाया जाता है। यह प्रमुख रूप से बच्चों को प्रभावित करता है। यह शरीर के रासायनिक त्तवों को प्रभावित करके पाचन संबंधी तथा कैंसर जैसी बीमारियों को उत्पन्न करता है।
4. **नाइट्रोजन ऑक्साइड** : यह गाड़ियों में प्रयुक्त होने वाले पेट्रोल-डीज़ल के जलने से उत्पन्न होने वाली गैस है। यह सर्दियों में बच्चों को साँस की बीमारियों के प्रति संवेदनशील बनाती है।

गाड़ियों में प्रयुक्त होने वाले पेट्रोल-डीज़ल आदि से उत्पन्न होने वाली गैसें केवल मनुष्यों के लिए ही, अपितु अन्य जीवन धारियों तथा वनस्पतियों के लिए भी उतनी ही हानिकारक होती हैं। सड़कों के किनारे गाड़ियों से निकलने वाली गैसों के संपर्क में आने वाले पेड़-पौधे तथा अनेक जीवों की कई प्रजातियाँ धीरे-धीरे बीमार पड़कर नष्ट हो रही हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण पेड़-पौधों की अंधाधुंध कटाई चल रही है, ऐसी स्थिति में प्राणवायु (ऑक्सीजन) के बिना जीवन कैसे संभव होगा, यह विचारणीय प्रश्न है।

इसके अतिरिक्त गाड़ियों से उत्पन्न शोर भी प्राणी जगत के लिए घातक है। मनुष्य अपनी सुविधानुसार गाड़ियों में हॉर्न लगाते हैं। सरकार ने प्रेशर हॉर्न पर पाबंदी लगा रखी है, फिर भी लोग गाड़ियों में प्रेशर हॉर्न लगाना शान की बात समझते हैं। ज़रूरत होने पर हॉर्न बजाना ठीक है, लेकिन अकारण हॉर्न बजाकर वातावरण में ध्वनि प्रदूषण फैलाना अनुचित है। अस्पताल, विद्यालय, वृद्धाश्रम आदि ऐसे स्थान हैं, जहाँ शोर नहीं होना चाहिए।

ध्वनि प्रदूषण से अनेक तरह की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। अत्यधिक शोर से मनुष्यों में बहरापन तथा तनाव पैदा होता है। उच्च रक्तचाप के मरीज़ों के लिए शोर जानलेवा हो सकता है। अत्यधिक शोर से दिल का दौरा पड़ने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। लोगों में अनिद्रा की बीमारी उत्पन्न होती है।

यदि धरती पर जीवन बनाए रखना है तो हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाना ही होगा। इसके लिए हमें गाड़ियों का उपयोग सुविधा के लिए करना होगा न कि वातावरण को नष्ट करने के लिए। एक घर में चार प्राणियों के लिए चार गाड़ियों के स्थान पर एक गाड़ी से काम चलाना सीखना होगा। अपने आस-पास के चार-पाँच ऐसे लोग, जो एक ही तरफ़ काम पर जाते हैं, उन्हें आपसी सहमति से एक ही गाड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। बिना कारण गाड़ियाँ सड़कों पर नहीं निकालनी चाहिए। यदि गाड़ियों को स्टेटस सिंबल न बनाकर सुविधा के लिए उपयोग होगा तो मनुष्य जाति का भला होगा।

कार्यकलाप-1

शीर्षक : आओ ध्वनि उत्पन्न करें

समय	आयु वर्ग	सामग्री
35 मिनट	6-8 वर्ष	प्लेट, चम्मच, दाल, प्लास्टिक की बोतल, घंटी, सीटी, काग़ज़, तथा विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ आदि।

उद्देश्य

- विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को पहचानने के कौशल का विकास करना।
- तीव्र और कोमल ध्वनियों में फर्क करने की क्षमता को बढ़ाना।

पूर्व तैयारी

क्रियाकलाप से पूर्व कक्षा को दो समूह में विभाजित करें। एक समूह को ध्वनि उत्पन्न करने की सामग्री दें व दूसरे समूह को अपनी मर्जी के अनुसार कोई भी आकृति लेकर बैठने को कहें, जैसे - आयत, वर्ग, वृत आदि।

प्रक्रिया

- पहले समूह के बच्चे सामग्री की मदद से अलग-अलग ध्वनि उत्पन्न करें।
- दूसरे समूह के बच्चे कोमल तथा तीव्र ध्वनि की पहचान कर उसे अभिनय द्वारा अभिव्यक्त करें, जैसे-
  - यदि ध्वनि सुनने तथा अच्छी व कोमल लगे तो मुस्कराकर अभिव्यक्त करें।
  - यदि ध्वनि सुनने में कर्कश और तीव्र हो तो कान बंद करके अभिव्यक्त करें।

आकलन

अध्यापक बच्चों को कार्यकलाप के दौरान सुनी गई ध्वनियों को निम्न प्रकार से लिखकर वर्गीकरण करने को कहें -

कर्कश ध्वनि	कोमल ध्वनि

कार्यकलाप-2

शीर्षक : आओ ध्वनि उत्पन्न करें

समय	आयु वर्ग	सामग्री
35 मिनट	14-16 वर्ष	10 x 10 कार्डबोर्ड शीट्स, घी, वैसलीन, रूई।

उद्देश्य

- यातायात के साधनों द्वारा फैलने वाले वायु प्रदूषण से अवगत कराना।
- वायु-प्रदूषण से अधिक प्रभावित क्षेत्रों की पहचान सिखाना।

प्रक्रिया

- कक्षा को 5-6 समूहों में विभाजित करें।
- प्रत्येक समूह में 6-7 बच्चे हों।
- हर समूह 2 वर्गाकार 10x10 की कार्डबोर्ड शीट काट कर उस पर वैसलीन लगाएँ।
- कुछ समूह अपनी एक शीट को अधिक ट्रैफिक वाले स्थान पर, जैसे - लाल बत्ती, बस स्टॉप, पार्किंग आदि में लगाएँ तथा कुछ समूह अपनी शीटों को कम ट्रैफिक वाले स्थान पर कक्षा अध्यापिका के सहयोग से लगाएँ।
- अगले दिन इन शीट्स को कक्षा में लाकर आपस में तुलना करें।

कक्षा अध्यापिका छात्रों के साथ चर्चा करें कि

आपने देखा कि दोनों कार्डों में कुछ कण लगे हैं। आपको क्या लगता है कि ये कण कहाँ से आए होंगे?

- किस कार्ड में कम कण हैं?
- किस कार्ड में अधिक कण हैं?
- ये कण क्या हैं?
- आपके अनुसार अधिक कण वाले कार्ड में हम किस प्रकार कमी ला सकते हैं?

कार्यकलाप-3

शीर्षक : आओ ध्वनि उत्पन्न करें

समय	आयु वर्ग	सामग्री
35 मिनट	10-15 वर्ष	विभिन्न वाहनों की आकृतियाँ या विभिन्न वाहनों के चित्र (विभिन्न वाहनों की रिकॉर्ड आवाज़ें)

उद्देश्य

बच्चों में यातायात के साधनों से फैलने वाले प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के उपायों की समझ विकसित करना।

प्रक्रिया

सर्वप्रथम, अध्यापिका कक्षा के बच्चों को निम्न प्रकार से वाहनों को वर्गीकृत करने को कहे :

ईंधन चालित वाहन	बिना ईंधन के चलने वाले वाहन

अब अध्यापिक बच्चों से निम्न वार्तालाप करें :

यदि आपको घर से कुछ ही दूरी पर स्थित दुकान या बाज़ार जाना हो तो क्या आप किसी वाहन का उपयोग करते हैं?
यदि हाँ, तो कौन-सा वाहन? उस वाहन को ऊपर दिए गए वर्गों में वर्गीकृत करो।
क्या आप उस स्थान पर किसी और तरीके या वाहन से जा सकते हैं? यदि हाँ, तो कौन से वाहन से या तरीके से?
ऊपर किए गए वर्गीकरण में कौन से वाहन आपके अनुसार कम प्रदूषण फैलाते हैं तथा क्यों?
पेट्रोल तथा डीज़ल के अलावा और कौन-कौन से ईंधन का प्रयोग वाहनों को चलाने में होता है?

अब वाहनों को निम्न तरीके से वर्गीकृत करें :

पैट्रोल, डीज़ल चालित वाहन	वैकल्पिक ईंधन चालित वाहन

वैकल्पिक ईंधन वाले वाहनों के साथ उनके नाम भी लिखें, जैसे - ई-बाइक (बिजली)

चर्चा करें

- पैट्रोल तथा डीज़ल चालित वाहनों का क्या हमारे वातावरण पर कोई दुष्प्रभाव पड़ता है?
- आजकल वैकल्पिक ईंधन चालित वाहनों के अधिक आविष्कार हो रहे हैं। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है?
- क्या आपको, आपके किसी मित्र या रिश्तेदार को पैट्रोल चालित वाहन में बैठने से कोई शारीरिक परेशानी होती है?
- वैकल्पिक ईंधन चालित वाहनों का हमारे वातावरण पर कैसा प्रभाव पड़ता है?

कार्यकलाप-4

शीर्षक : सोचो और लिखा

समय	आयु वर्ग	सामग्री
35 मिनट	14-16 वर्ष	विभिन्न वाहनों की आकृतियाँ या चित्र, विभिन्न वाहनों की रेकार्ड की गई आवाज़ें।

उद्देश्य :

- बच्चे यातायात के साधनों का वातावरण पर प्रभाव समझने में सक्षम होंगे।

प्रक्रिया :

बच्चों को निम्न परिस्थिति पर सोच कर लिखने के लिए कहा जाए।

1. ''एक ऐसा समय जब सभी लोग साइकिल का इस्तेमाल कर रहे हों।'' अब सोचो और लिखो कि वह दृष्य कैसा होगा?
   - **संकेत :**
     * तब सड़क पर किस तरह का शोर होगा?
     * लोगों को किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा?
2. यदि सड़कों पर साइकिलें होंगी तो सड़क पर घटित होने वाली दुर्घटनाएँ कैसी होंगी?